

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :- 1680/2024

हेमराज वर्मा

—अपीलार्थी

## बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, झालावाड़।
3. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, भवानीमण्डी झालावाड़।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 24.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री घनश्याम दास, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)  
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

## आदेश

1. मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. इस अपील में अपीलार्थी ने अपने निलम्बन आदेश दिनांक 27.02.2024 (अनुलग्नक-1) को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी निलम्बन से पूर्व अध्यापक लेवल-2 सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुराडियाकलां ब्लॉक भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में कार्यरत थे। निलम्बन आदेश के साथ-साथ उसका मुख्यालय परिवर्तन कर झालावाड़ जिले से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बीकानेर कर दिया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह अपील को अपीलार्थी के मुख्यालय परिवर्तन की हद तक सिमित रखना चाहते हैं।
3. अपीलार्थी अध्यापक लेवल-2 सामाजिक विज्ञान के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुराडियाकलां ब्लॉक भवानीमण्डी, जिला झालावाड़ में कार्यरत था। अपीलार्थी के विरुद्ध गुराडियाकलां के ग्रामीणों द्वारा शिकायत करने पर शिकायत की जांच हेतु की गठित की गयी समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा धार्मिक टीका-टिप्पणी करने के दोषी पाये जाने का आरोप है, जिस कारण अपीलार्थी को निलम्बित कर उसका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक बीकानेर किया गया है। हम यह पाते

हैं कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों के दृष्टिगत अपीलार्थी का मुख्यालय एक जिले से दूसरे जिले में किया जाना उचित नहीं है।

4. परिणामस्वरूप यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी का मुख्यालय झालावाड़ जिले में ही किसी स्थान पर किये जाने के आदेश पारित करें।
5. इस आदेश की पालना एक माह में सुनिश्चित की जाये।

(चेतन राम देवड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)